राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—5812/2022

धर्मवीर सिंह यादव (कर्मचारी आई.डी.— आरजेडीएच201714004522)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 30.11.2022

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री गौरव सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पीईटी ग्रेड—।। के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सीकरी पट्टी, नगर, जिला भरतपुर में पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा रा.उ.मा.वि. कोलिला, जिला अलवर में किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना किसी कारण के आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक—1) की पालना नहीं की जा रही है और अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग का उक्त कृत्य अनुचित एवं विधि के विरूद्ध है, अतः अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक—1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त करवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से स्टेंडिंग कौंसिल श्री गौरव सिंह का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में चयनोपरांत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में पदस्थापित किया गया है। ऐसे में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में पदस्थापित अध्यापकों को कार्यमुक्त

नहीं किये जाने के संबंध में आक्षेपित आदेश दिनांक 02.09.2022 में निम्न नोट अंकित है:—

"उक्त स्थानांतरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरांत पदस्थापित कार्मिक का स्थानांतरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।"

अतः उपरोक्त नोट के आधार पर विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि विभाग द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को कार्यमुक्त ना किया जाये।

हमने विद्वान् अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यदि विभाग द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में से अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है तो स्थानांतरण आदेश पारित किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन होने पर सेवा शर्तों में कोई भिन्नता आई हो, यह भी दर्शित नहीं है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापकों की सेवा कोई पृथक सेवा नहीं है, ऐसे में उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार करना या विभेद करना युक्तियुक्त एवं नियमानुकूल नहीं है। चूंकि अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.09.2022 को ही पारित हो चुका था तो 2½ माह पश्चात् तक भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने का कोई उचित कारण प्रकट नहीं होता है।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायहित में प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक—1) की पालना में अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थल रा.उ.मा.वि. कोलिला, जिला अलवर के लिये कार्यमुक्त किया जावे।

उक्त निर्देश के साथ उक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)